संख्या : /ज0प्र0अनु0/2017–01(09)/2011

मनीषा पवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम)

देहरादून : दिनांक|| सितम्बर, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान संख्या 17 के लिये Other Intervention के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (SLNA) के पत्रसंख्या 4404/3–2/आई0डब्लू0एम0पी0 दिनांक 05 जून, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (IWMP) के लिये भारत सरकार के पत्रसंख्या 19–6/2015–RFS–III दिनांक 14 सितम्बर, 2015 द्वारा Other Intervention के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के 09 सूखा प्रभावित जनपदों में भूजल के संग्रहण हेतु जल संग्रहण कार्य (Water harvesting works for ground water recharge) के लिए शासनादेश संख्या 37/ज0प्र0अनु0/2016–01(9)/2011 दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रु0 313.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से राज्यांश की धनराशि रु0 34.78 लाख (रु0 चौंतीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को तत्काल SLNA के सम्बन्धित परियोजना निदेशक मुख्यालय के निवर्तन पर रख दिया जायेगा।

2(1) उक्तानुसार निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन/व्यय योजना हेतु लागू वर्तमान, नियमों, आदेशों, निर्धारित मानकों, समय–समय पर राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशों/गाईड लाईनस के अनुसार उसी कार्य/योजना हेतु किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

2(2) उक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग किसी ऐसे व्यय का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी

2(3) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि यथावश्यकता किश्तों में आहरण किया जायेगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

2(4) उक्तानुसार एकमुख्य प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्यक प्राप्त कर लिया जाये।

2(5) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता का प्रमाण पत्र शासन एवं भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के "अनुदान संख्या–17" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–001–निदेशन तथा प्रशासन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102–पी0एम0के0एस0वाई0/समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिकत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28.03.2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ठ नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. S1709170038 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–56/XXVII-4/2017 दिनांक 04 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या 492/ज0प्र0अनु0/2017–01(09)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. अपर सचिव, कृषि एंव कृषि विपणन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त कुमांयू मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी
6. जिलाधिकारी, टिहरी, अल्मोड़, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।
7. कोषाधिकारी, टिहरी, अल्मोड़, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।
8. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 19–6/2015–RFS–III दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में ।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव